Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 22 नवंबर, 2023

ICMR ने कोविड-19 टीकों और अचानक मौतों के बीच संबंध को खारिज़ किया

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि **कोविड-19 टीके और अचानक होने वाली मौतें असंबद्ध** हैं।

- अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि **टीकाकरण से अचानक होने वाली मौतों का खतरा कम हो जाता है** , खासकर तब जब स्वस्थ हो चुके व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर छुट्टी दे दी जाती है।
  - अधिकांश अचानक मौतों का प्रमुख कारण **हृदय संबंधी स्वास्थ्य स्थितियाँ** हैं, जिनमें दिल की अनियमित धड़कन, रक्त प्रवाह में बाधा तथा हृदय की मांसपेशियों की कार्यक्षमता में कमी आना शामिल है।
  - धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन और अति व्यायाम और आनुवंशिकता को अचानक होने वाली मौतों के अन्य जोखिम कारकों के रूप में पहचाना जाता है।
- इस अध्ययन में उन संभावित तंत्रों पर प्रकाश डाला गया है **जिनके माध्यम से कोविड-19 हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है** , जिसमें हृदय की मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान भी शामिल है।
  - **कोविड-19 के गंभीर मामलों** में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, **जिनमें अचानक मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता हैं** , गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों में अचानक होने वाली मौत का जोखिम चार गुना अधिक होता है।

और पढ़ें... अस्पताल में भर्ती होने के बाद कोविड-19 रोगियों में मृत्यु दर

ग्रहण

ग्रहण एक **खगोलीय घटना** है जो तब घटित होती है **जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं।** हालाँकि **प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता है।**

- पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा सूर्य के चारों ओर **पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है।**
  - इसका अर्थ यह है कि **पृथ्वी पर छाया (सूर्य ग्रहण) डालने** अथवा **पृथ्वी की छाया (चंद्र ग्रहण) में प्रवेश करने के लिये** चंद्रमा आमतौर पर काफी उपर अथवा बहुत नीचे होता है।
- ग्रहण केवल तभी घटित होते हैं जब **चंद्रमा क्रांतिवृत्त तल/एक्लिप्टिल प्लेन**, जो कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का तल है, को उसी समय पार करता है **जब चंद्रमा पूर्ण होता है।**
  - तलों के प्रतिच्छेदन की रेखा को **नोड्स की रेखा** कहा जाता है। ग्रहण घटित होने के लिये चंद्रमा का किसी एक नोड के निकट होना अनिवार्य है।
  - ऐसा सभी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नहीं होता है।
- ग्रहण युग्मों में होते हैं, दो सप्ताह में एक सूर्य और एक चंद्र ग्रहण होता है, जिसे **ग्रहण ऋतु** यानी **एक्लिप्स सीज़न** कहा जाता है।
  - आमतौर पर एक वर्ष में दो ग्रहण ऋतुएँ अलग-अलग समय पर होती हैं, जो मूलतः नोड्स और सूर्य के संरेखण पर निर्भर करती हैं।

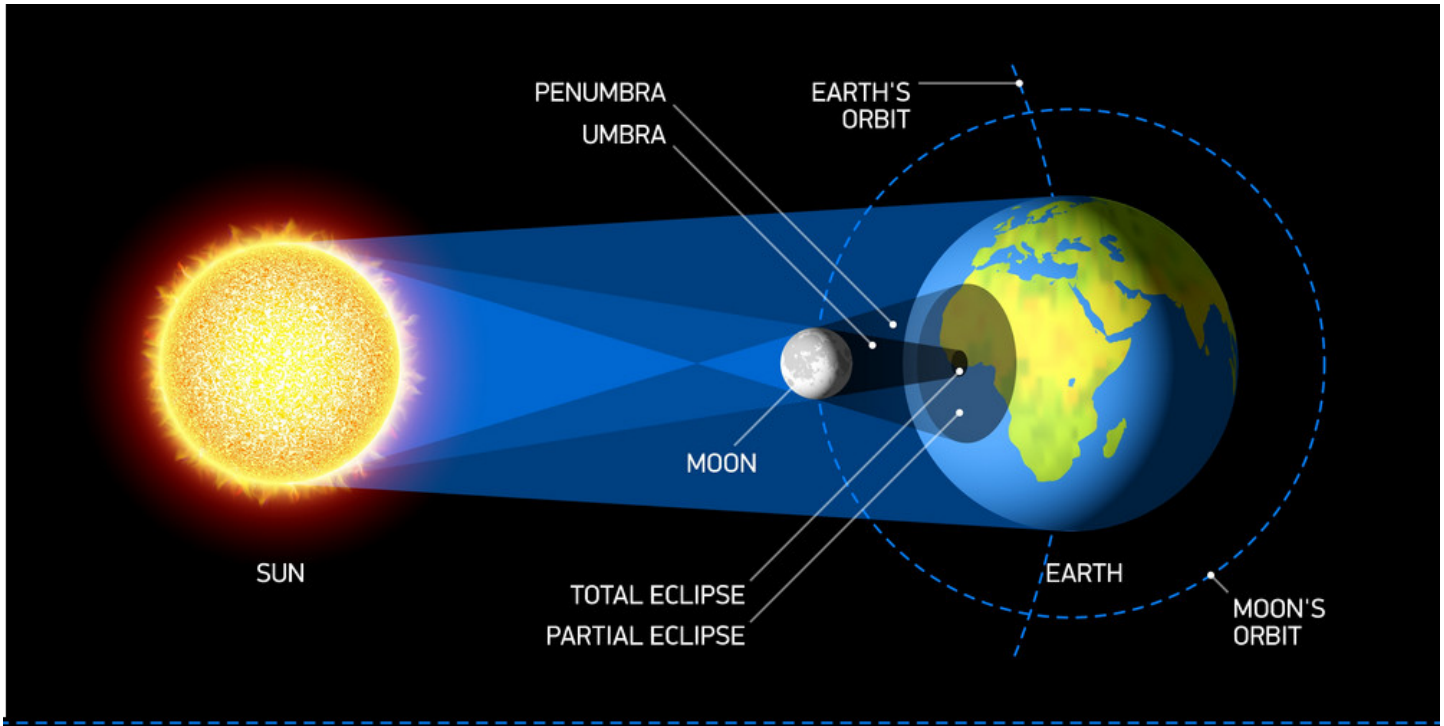

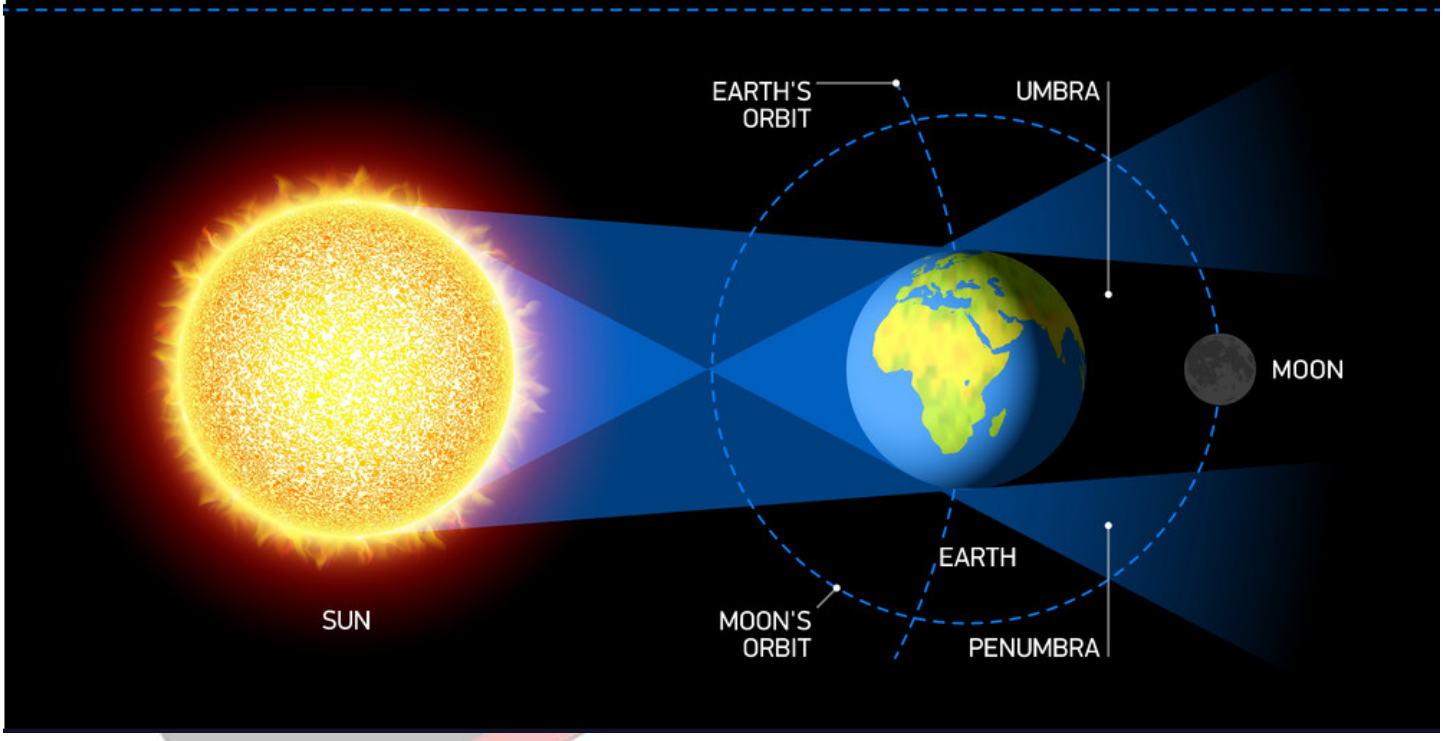

वज्र प्रहार 2023: भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास

भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वाँ संस्करण , **"वज्र प्रहार 2023"**, उमरोई छावनी, मेघालय में प्रारंभ हुआ। इसका पहला संस्करण वर्ष **2010 में भारत में** आयोजित किया गया था।

- अमेरिका के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के **पहले विशेष बल समूह** के सैनिकों द्वारा किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व **पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों** द्वारा किया जा रहा है।
- भारतीय तथा अमेरिकी सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला यह अभ्यास **सामरिक रणनीतियों, मिशन योजना एवं परिचालन रणनीति** को साझा करने पर केंद्रित है।

और पढ़ें...[अभ्यास वज्र प्रहार]

थाईलैंड की कैबिनेट ने विवाह समानता विधेयक को स्वीकृति दी

हाल ही में **थाईलैंड की कैबिनेट** ने **नागरिक और वाणिज्यिक संहिता** में संशोधन को स्वीकृति दे दी, जिससे देश में [समलैंगिक विवाह] अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हो गया।

- इस कोड के भीतर भाषा में बदलाव, **"पुरुषों एवं महिलाओं"** की जगह **"व्यक्तियों" और "पति तथा पत्नी"** की जगह **"विवाह साझेदार"** करने का उद्देश्य समान-लिंग वाले जोड़ों को समान अधिकार प्रदान करना है।
- यह समान-लिंग वाले जोड़ों के बीच संबंध बनाने के अधिकार की गारंटी देगा, साथ ही अगला कदम समान-लिंग वाले जोड़ों को भी मान्यता देने के लिये पेंशन फंड कानून में संशोधन होगा।

और पढ़ें...[समलैंगिक विवाह: समानता के लिये संघर्ष]

उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयोग ने हाल ही में राज्य के भीतर **हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।** यह [खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006] **की धारा 30 (2) (d)** तथा **धारा 30 (2) (a) के तहत शक्तियों के तहत आता** है।

- आदेश में तर्क दिया गया है कि **हलाल प्रमाणीकरण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता**, डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम, खाद्य तेल इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पादों के लेबलिंग **के संबंध में भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है**।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2):
  (a): सार्वजनिक स्वास्थ्य की खातिर, संपूर्ण राज्य अथवा उसके विशिष्ट क्षेत्रों के भीतर **किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन, भंडारण, संचलन अथवा वेंडिंग** को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये प्रतिबंधित करना, जैसा कि घोषित आदेश में दर्शाया गया है और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है
  (d) **निर्दिष्ट मानकों तथा अन्य आवश्यकताओं का कुशल और समान कार्यान्वयन** सुनिश्चित करना तथा निष्पक्षता, जवाबदेही, व्यावहारिकता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता का उच्च मानक भी सुनिश्चित करना।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-22-november,-2023